पारिवारिक न्यायालय, कुचामन, जिला डीडवाना–कुचामन।

पीठासीन अधिकारीः– सुन्दर लाल खारोल, **आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रार्थना पत्र सं. (एच.एम. एक्ट):– **110/2024**

CIS NO:- **110/2024**

....

1. श्रीमती पूजा पत्नी सुभाष चन्द पुत्री घनश्याम निवासी वार्ड नम्बर 20, लोसल सीकर हाल निवासी पांचौता तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राजस्थान)।
2. सुभाष चन्द पुत्र सत्यनारायण निवासी वार्ड नम्बर 20, लोसल, सीकर (राजस्थान)।

–प्रार्थीगण

बनाम

निल

उपस्थितः–

1. प्रार्थी संख्या 01 की ओर से	–	अधिवक्ता श्री रमेश चौधरी।
2. प्रार्थी संख्या 02 की ओर से	–	अधिवक्ता श्री अनिल कुमार।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

दिनांक 04.10.2024

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से अंतर्गत धारा 13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक **13.05.2013** को ग्राम पांचौता तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन में सप्तपदी लेकर सम्पन्न हुआ था। प्रार्थीगण के वैवाहिक जीवन से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। प्रार्थीगण करीब 03 साल से अलग–अलग निवास कर रहे है। प्रार्थीगण के आपसी विचारों से मतभेद होने की वजह से बतौर पति–पत्नी साथ–साथ जीवन बिताना असंभव है। प्रार्थीगण के आपस में वैवाहिक जीवन निर्वाह नहीं कर पाना कतई असंभव है।

2. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है दोनों पक्षों के अथक प्रयास किये जाने के उपरान्त आपस में भविष्य में बतौर पति–पत्नी साथ रहना संभव नहीं है। प्रार्थी सं.–01 ने भरण पोषण की संपूर्ण राशि व स्वयं का स्त्रीधन प्रार्थी सं.–02 से प्राप्त कर लिया है। भरण पोषण व स्त्रीधन को लेकर पक्षकारों के मध्य कोई विवाद शेष नहीं है। इसलिए दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से

विवाह विच्छेदित करने का आदेश व डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया।

3. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारान के मध्य समझाईश की गई एवं मध्यस्थता के जरिये भी समझाईश के प्रयास किये गये, परन्तु समझाईश असफल रही। प्रार्थीगण पढे–लिखे नौजवान है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए **अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर** व **निखिल कुमार बनाम रूपाली कुमार** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार समयावधि में शिथिलता प्रदान की गई।

4. साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थीगण की ओर से गवाह ए.ड.–01 श्रीमती पूजा व ए.ड–02 सुभाष चन्द को पेश कर परीक्षित कराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेजात प्रदर्श–01 प्रार्थी संख्या–01 श्रीमती पूजा का आधार कार्ड, प्रदर्श–02 प्रार्थीगण की शादी का कार्ड, प्रदर्श–03 प्रार्थी संख्या–02 सुभाष चन्द का आधार कार्ड, को प्रदर्शित कराया गया।

5. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से तर्क रहा है कि प्रार्थीगण का पति–पत्नी के रूप में साथ रहना संभव नहीं है। समझाईश भी असफल हो गई है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करने का निवेदन किया।

6. न्यायालय के समक्ष अवधारणीय प्रश्न है कि :–

> ***"आया प्रार्थीगण का विवाह दिनांक 13.05.2013 को सम्पन्न होने के बाद करीब 03 साल से अलग–अलग रह रहे हैं। वे एक साथ नहीं रह सकते हैं तथा दोनों इस बात के लिए सहमत हो गये हैं कि विवाह विघटित कर देना चाहिए?"***

7. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी संख्या–01 श्रीमती पूजा का विवाह दिनांक 13.05.2013 को ग्राम पांचौता तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन में सप्तपदी लेकर प्रार्थी संख्या–02 सुभाष चन्द के साथ सम्पन्न हुआ। प्रार्थना पत्र के उक्त तथ्यों का सही होना प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र में बताया गया है। मौखिक साक्ष्य में भी गवाह ए.ड.–01 श्रीमती पूजा व ए.ड.–02 सुभाष चन्द ने दोनों के मध्य विवाह दिनांक **13.05.2013** को

सम्पन्न होना बताया है। साथ ही प्रार्थीगण ने प्रदर्श–02 विवाह का कार्ड प्रदर्शित करवाया है। अतः उक्त तथ्यों एवं साक्ष्य के अनुसार दोनों का विवाह दिनांक **13.05.2013** को होने का कथन साबित होना पाया जाता है।

8. प्रार्थना पत्र के अनुसार दोनों पक्षकारान वर्तमान में अलग–अलग रह रहे हैं व दोनों का पति–पत्नी के रूप में रहना भविष्य में संभव नहीं है। मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.ड.–01 श्रीमती पूजा व ए.ड.–02 सुभाष चन्द ने करीब 03 साल से वैचारिक मतभेद होने से अलग–अलग रहना बताया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र के उपरोक्त तथ्यों का समर्थन मौखिक साक्ष्य से होता है।

9. दोनों के मध्य समझाईश असफल होने के बिन्दू पर यह उल्लेखनीय है कि दोनो के मध्य सामाजिक स्तर पर व परिवारजनों द्वारा समझाईश किए जाने पर भी दोनो के वैचारिक मतभेद खत्म नहीं हुए उनका साथ रहना संभव नही है। न्यायालय में उपस्थित होने के समय भी दोनो पक्षों के मध्य समझौते के प्रयास किए गए लेकिन दोनो पक्षो में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होने का तथ्य साबित होता है।

10. पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि **दोनों प्रार्थीगण एक साथ नहीं रह सकते हैं** तथा इस बात के लिए सहमत हो गये हैं कि विवाह विघटित कर देना चाहिए। इस संबंध में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीगण का और अधिक समय तक पति–पत्नी के संबंध को बनाये रखना संभव नहीं है। प्रार्थीगण करीब 03 साल से अलग–अलग रह रहे हैं। मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.ड.–01 श्रीमती पूजा व गवाह ए.ड.–02 सुभाष चन्द ने दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद होना बताया है। दोनों के मध्य कोई लेन–देन शेष नहीं होना बताया है। साथ ही गवाहान ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया है कि वैचारिक मतभेद के कारण साथ रहना संभव नहीं है जिससे प्रकट है कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। साथ ही आपसी सहमति से पेश प्रार्थना पत्र के तथ्यों की ताईद की गई है।

11. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट है कि दोनों प्रार्थीगण के मध्य दुरभिःसंधि नहीं है। इस संबंध में प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण के मध्य कोई दुरभिःसंधि नहीं है। मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.ड.– 01 श्रीमती पूजा व ए.ड.–02 सुभाष चन्द के कथनों से स्पष्ट है कि उनके मध्य

कोई दुरभिःसंधि नहीं है। अतः अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्य के अनुसार दोनों के मध्य दुरभिःसंधि नहीं होना प्रकट होता है।

12. अतः उपरोक्त निष्कर्षानुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत याचिका अंतर्गत धारा 13बी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:–आदेशः–

अतः प्रार्थीगण की ओर से संयुक्त रूप से प्रस्तुत याचिका अंतर्गत धारा 13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 पारस्परिक सहमति के आधार पर स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि श्रीमती पूजा पत्नी सुभाष चन्द पुत्री घनश्याम निवासी वार्ड नम्बर 20, लोसल सीकर हाल निवासी पांचौता तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन व सुभाष चन्द पुत्र सत्यनारायण निवासी वार्ड नम्बर 20, लोसल, सीकर के मध्य सम्पन्न विवाह दिनांक **13.05.2013** को आज दिनांक 04.10.2024 को विघटित किया जाता है। आज दिनांक 04.10.2024 से दोनों पति–पत्नी नहीं रहेंगे। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

13. हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 23(4) के तहत आदेश की प्रति दोनों प्रार्थीगण को निःशुल्क दी जावे।

(सुन्दर लाल खारोल)
न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,
कुचामन, जिला–डीडवाना–कुचामन।

14. निर्णय आज दिनांक 04.10.2024 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(सुन्दर लाल खारोल)
न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,
कुचामन, जिला–डीडवाना–कुचामन।